

2-26

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं एवं  
न ही वादी उपस्थित. प्रकरण में वकील वादी को साक्ष्य  
हैट दिनांक 10-3-25 से आज दिनांक तक कई अवसर  
दिये जा चुके हैं। पूर्व में इन्हें अन्तिम अवसर 5000 रुकोष्ट  
पर दिया गया था। किन्तु प्रकरण में साक्ष्य वादी पेश  
नहीं कि गई, प्रकरण में इतने अवसर दिये जाने के  
परचात भी साक्ष्य वादी पेश नहीं करने से वादी की  
साक्ष्य बन्द कि जाती है। पत्रावली में वकील वादी व  
वादी को न्यायालय से बार बार अवाजे भगाई गई  
किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से वादी  
वा वाद अदम्य हाजरी अदम्य पैरवी अदम्य साक्ष्य सबूत  
में रवा/रिज किया जाता है। पत्रावली में सल सुमार  
हो कर नम्बर से कम है। ~~५~~